

एमएमटीसी लिमिटेड : कारपोरेट कार्यालय : नई दिल्ली

कार्मिक प्रभाग

(आई आर अनुभाग)

संख्या एमएमटीसी/का./99/इसीडीए/आईआरपी

31 अक्टूबर, 2017

परिपत्र सं. 12/2017

दिनांक 10.11.2017 को निदेशक मंडल की बैठक 30.09.2017 को समाप्त तिमाही के लिए यू एफ आर पर विचार एवं अनुमोदन के लिए आयोजित की जायेगी। परिपत्र सं. 80 दिनांक 04.01.2015 के द्वारा अधिसूचित "इंसाइडर द्वारा रैग्युलेटिंग और रिपोर्टिंग ट्रेडिंग के लिए "कोड आफ कंडक्ट" के खंड 9 और "एमएमटीसी और खंड 7.3 के अनुसरण में सभी को सूचित किया जाता है कि 03.11.2017 से 12.11.2017 (दोनों दिन शामिल हैं) की अवधि के दौरान "ट्रेडिंग विंडो" रहेगी।

उपरोक्त परिपत्र में के द्वारा "ट्रेडिंगविंडो" से कंपनी की प्रतिभूतियों में व्यापार के लिए ट्रेडिंग समय के रूप में परिभाषित किया गया है।

आप सभी से अनुरोध है कि एमएमटीसी वेबसाईट पर "निदेश" सूचना पर उपलब्ध कोड आफ कंडक्ट का पालन करें। इस बात का उल्लेख किया जाता है कि "ट्रेडिंग विंडो" बंद रहने के दौरान कंपनी का कोई निदेशक या कर्मचारी कंपनी की प्रतिभूति में व्यापार नहीं करेगा। ट्रेडिंग विंडो प्रतिबंध उस व्यक्ति पर भी लागू होगा जो कंपनी के साथ संविदात्मक या न्यासी संबंध रखता हो उदाहरण के लिए कंपनी की लेखा फर्म, लॉ फर्म, एनालिस्ट परामर्शदाता इत्यादि जो कंपनी को सहयोग या परामर्श देती हो।

(धर्म सिंह)

अपर महा प्रबंधक(कार्मिक)

प्रति:

1. अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के कार्यकारी सचिव/निदेशकों के निजी सचिव/कार्यकारी निदेशक/मु.स.अ.
2. सभी मु.म.प्र./म.प्र./का.का./क्षे.का/कंपनी सचिव
3. सभी क्षेत्रीय प्रभारी
4. महासचिव, एमएमटीसी अधिकारी महासंघ, जयपुर/स्टाफ यूनियन, नई दिल्ली/एससी/एसटी कल्याण संघ, नई दिल्ली/महासचिव एमएमटीसी कर्मचारी संघ, नई दिल्ली
5. महाप्रबंधक (सिस्टम) -इस अनुरोध के साथ कि इस परिपत्र को एमएमटीसी इंटरनेट पर प्रदर्शित करें।
6. कार्यालय आदेश फाइल
7. नोटिस बोर्ड